

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1079/2011

मदन लाल टेलर

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर डिवीजन, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.08.2011

आदेश की दिनांक : 18.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अभिभाषक

प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्था विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि दिनांक 27.02.2001 से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान ग्रेड पे 7500—12000 का लाभ दिया जावे अथवा दिनांक 01.09.2006 से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, का लाभ दिया जावे। अपीलार्थी को नियम 26ए के तहत वेतनमान 6500—10500 का लाभ भी दिया जावे तथा मय शेष राशि सहित 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 23.11.1971 के द्वारा हुई थी। 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 18.06.1990 के द्वारा अपीलार्थी को ग्रेड पे 1400-2600 दिनांक 01.09.1988 से दी गई और नियम 1971 के तहत अपीलार्थी की अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 02.09.1991 के द्वारा उक्त ग्रेड पे पर हुई और उसे रिक्ति वर्ष 1990-91 के विरुद्ध अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर स्थायी किया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर किया गया। पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1998 के अंतर्गत अपीलार्थी का वेतनमान 6500-10500 निर्धारित किया गया। इसी दौरान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 वित्त विभाग द्वारा जारी की गई, जिसमें नियम 1998 के अंतर्गत संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान का प्रावधान किया गया, जिसमें जो वरिष्ठ अध्यापक जिनकी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई, उन्हें वेतनमान 6500-10500, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिया गया और अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वर्ष 1991 में पदोन्नत हुआ था और इस प्रकार वह वर्ष 2001 में उक्त वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी था। परंतु अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पुनः वेतनमान 6500-10500 आदेश दिनांक 22.03.2002 के द्वारा दिया गया और नियम 2008 के तहत छठा वेतनमान निर्धारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को दिनांक 06.12.2006 से ग्रेड पे 4200 दी गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी का वेतनमान 6500-10500 दिनांक 01.07.1998 से पुनः एक बार फिर निर्धारित किया गया। जबकि अपीलार्थी अग्रिम वेतनमान 7500-12000 दिनांक 27.02.2001 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त करने का अधिकारी है और यदि तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी दिनांक 01.09.2006 से प्राप्त करने का हकदार है, जो अन्य कार्मिकों को उक्त लाभ दिया गया है। परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है, जो नियम एवं विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि दिनांक 27.02.2001 से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान ग्रेड पे 7500-12000 का लाभ दिया जावे अथवा दिनांक 01.09.2006 से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, का लाभ दिया जावे। अपीलार्थी को नियम 26ए के

तहत वेतनमान 6500—10500 का लाभ भी दिया जावे तथा मय शेष राशि सहित 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को ग्रेड पे 4200 दी जा चुकी है और आदेश दिनांक 06.10.2010 के द्वारा बीकानेर के आदेश दिनांक 02.02.2011 के द्वारा तृतीय वेतनमान से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में ग्रेड पे 4200 से अधिक देय नहीं है, जो कि नियमानुसार जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 23.11.1971 के द्वारा हुई थी। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत अपीलार्थी की अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 02.09.1991 के द्वारा उक्त ग्रेड पे पर हुई और उसे रिक्ति वर्ष 1990—91 के विरुद्ध अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर स्थायी किया गया। पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1998 के अंतर्गत अपीलार्थी का वेतनमान 6500—10500 निर्धारित किया गया। अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वर्ष 1991 में पदोन्नत हुआ था और इस प्रकार वह वर्ष 2001 में उक्त वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी था। परंतु अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पुनः वेतनमान 6500—10500 आदेश दिनांक 22.03.2002 के द्वारा दिया गया। जबकि अपीलार्थी अग्रिम वेतनमान 7500—12000 दिनांक 27.02.2001 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त करने का अधिकारी है और यदि तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी दिनांक 01.09.2006 से प्राप्त करने का हकदार है। जहां तक अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अथवा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण दिनांक 27.02.2001 को अग्रिम वेतनमान 7500—12000 नहीं दिये जाने का प्रश्न है, राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे स्केल्स) नियम 1998 में सामान्य बिन्दु संख्या 8 में निम्न प्रावधान किया गया है:—

"Subject : Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998

General note:-

"8- The Senior Teachers drawing pay in the first selection grade of 6500-10500 shall continue to draw pay in the scale as senior scale without considering the eligibility period of service for the senior scale prescribed under this order. This

provision shall also be applicable to the respective equivalent posts mentioned above-::

वस्तुतः यह प्रावधान उन वरिष्ठ अध्यापकों के लिए था जो प्रथम चयनित वेतनमान 6500-10500 में ले रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक दो तरह के हैं। प्रथम जिनकी सीधी भर्ती वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई एवं जिनकी सेवा में प्रवेश के समय वेतन श्रृंखला 5500-9000 निर्धारित की गई एवं प्रथम चयनित वेतनमान 10 वर्ष की सेवा पर 6500-10500 निर्धारित किया है एवं वरिष्ठ श्रृंखला में 8 वर्ष की सेवा पर द्वितीय चयनित वेतनमान 7500-10500 नियत किया गया है। द्वितीय प्रकार के वे वरिष्ठ अध्यापक जो अध्यापक ग्रेड से पदोन्नत होकर वरिष्ठ अध्यापक बने उनके अध्यापक ग्रेड-III के प्रवेश पर वेतन श्रृंखला 4500-7000 निर्धारित है एवं प्रथम चयनित वेतनमान 10 वर्ष की सेवा पर 5000-8000 नियत हैं। परन्तु सामान्य बिन्दु संख्या 8 में पदोन्नति से वरिष्ठ अध्यापक बने कार्मिकों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं होने से समस्त वरिष्ठ अध्यापकों का, जो चयनित वेतनमान 6500-10500 में ले रहे थे, का वेतन नियतन 6500-10500 वेतन श्रृंखला में कर दिया गया। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 जारी की गई। इसमें उक्त नियम 1998 के सामान्य बिन्दु सं. 8 को यथावत रखा जाकर उसे 8 (i) क्रमांकित किया गया एवं उसके नीचे दो बिन्दु जोड़े गये, जो निम्नानुसार हैं:-

"(ii) The teacher (earstwhile Teacher grade III) drawing pay in the second seletion grade of 6500-10500 and promoted as Senior Teacher prior to 1.7.1989 shall draw pay in the scale of 6500-10500 as senior scale of Senior Teacher. Those Senior Teachers who have not completed nine service as Senior Teacher on 1.7.1998, their pay on 1.7.1998 shall be fiued in the pay scale of 5500-9000 and such Senior Teachers shall be years allowed pay in the senior scale of 6500-10500 on completion of ten years service as Senior Teacher.

(iii) As a result of re-fixation of pay in accordance with the provisions contained in clause (ii) above, the recovery of overpayment, if any, shall stand waived for the period from 1.7.1998 to the date of issue of this Notification-::

इस अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भर्ती कार्मिकों की स्थिति को स्पष्ट किया गया एवं जो अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.1998 को 9 वर्ष की सेवाए पूर्ण नहीं हुई हैं उन्हें दिनांक 01.07.1998 को 5500-9000 में वेतन नियतन किया जावेगा एवं उन वरिष्ठ अध्यापकों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला 6500-10500 में 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर देय होगी एवं पूर्व में गलत वेतन नियतन की वजह से अधिक भुगतान की गई राशि को दिनांक 01.07.1998 से अधिसूचना तिथि (08.07.2001) की अवधि को माफ (waive) कर दिया गया।

इस अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अनेक याचिका दायर हुईं एवं माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा उनको स्वीकृत किया गया परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (w) 208/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम रामनिवास पोरवाल तथा अन्य समान 41 प्रकरणों में दिनांक 13.12.2007 का निर्णय से यह विवाद निर्णित किया गया। इसमें यह निर्णित किया गया है कि:—

"However, it may be clarified that because of the provisions made in Note 8 read with Note appended to Rule 6 a Senior Teacher drawing pay in second selection grade of 6500-10500 prior to 1.7.1998 and promoted as senior Teacher but after 1.7.1989 who has not completed 10 years as senior Teacher at the time of commencement of the Act his pay in pay-scale of 6500-10500 was protected as personal to him, though he would become eligible to such scale under the new rules of 1998 only on completion of 10 years. In this view of the matter, the rights of the respondents even under the aforesaid provision remain intact and unaffected and it could not have any adverse effect on them.

But those who have been promoted as Senior Teachers drawing their pay in Second Selection Grade of 6500-10500 will not be eligible for this pay protection because even under the Rules of 1998 as initially exist, they were to be promoted to senior Scale, which was Rs.5500-9000 only. But because of lacuna in the Rules originally enacted, not providing any specific provision, their fixation has been wrongly made by considering all Senior Teachers to be of the same category. The initial fixation in higher pay-scale being without any mistake on their part, until Notification of amendment, the resultant recoveries of excess amount paid to them has been waived.

Accordingly, with the clarification the appeals are allowed. The Judgment aforesaid under appeal declaring Notification dated 8.7.2001 to be ultravires is set aside. However, the view which we have taken on interpretation of the Rules, the existing teachers who have been promoted as Senior Teacher in the second Selection Grade prior to commencement of the Rules at any time but because of non-completion of 10 years of service as Senior Teacher under the revised rules were required to be fixed in lower pay-scale, their continuance in the higher pay-scale was protected as pay-scale personal to them under Note to Rule 6. The rights of all the appellants stand protected to this extent. In that light, the writ petitions filed by the appellants stand allowed to that extent.

उक्त निर्णय के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.06.2019 द्वारा यह निर्णय किया कि जिन कार्मिकों ने याचिका दायर की है उनको माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार लाभ प्रदान किया जा चुका है परन्तु अन्य समान प्रकरणों जिनमें न्यायिक प्रकरण नहीं है उनको भी समान रूप से लाभ दिया जायेगा। उक्त आदेश का प्रभावी अंश नियमानुसार है:—

"अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस निर्णय के समरूप सभी प्रकरणों में उन अध्यापकों को जिनका कोई न्यायिक प्रकरण नहीं है एवं जो दिनांक 01.07.1998 से पूर्व चयनित वेतनमान के रूप में वेतनमान (6500—10500) में

वेतन प्राप्त कर रहे थे, को उक्त चयनित वेतनमान का परिलाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 के नियम 6 के नीचे अंकित टिप्पणी के अनुसार व्यक्तिगत वेतनमान (Personal Pay Scale) के रूप में प्राप्त होगा।"

इससे स्पष्ट है कि जिन कार्मिकों की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.07.1989 से पश्चात हुई एवं दिनांक 01.07.1998 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई हैं एवं दिनांक 01.07.1998 से पूर्व से चयनित वेतनमान के रूप में वेतनमान 6500-10500 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो उक्त चयनित वेतनमान का परिलाभ व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में देय होगा। अर्थात् अधिक प्राप्त कर रहे वेतन को भविष्य की पदोन्नति/चयनित वेतनमान/एसीपी इत्यादि में समायोजन किया जायेगा एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवाए पूर्ण होने पर 6500-10500 का चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी का वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति दिनांक 26.11.1989 के पश्चात परन्तु दिनांक 01.07.1998 से पहले होने से वेतन नियतन वेतनमान 5500-9000 में होना था परन्तु वेतन नियतन 6500-10500 में होने से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत विभागीय आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा उक्त चयनित वेतनमान 6500-10500 का परिलाभ व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में स्वीकृत किया गया।

तृतीय वेतन श्रृंखला से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों को व्यक्तिगत वेतनमान 8500-10500 के मामलों में पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में ग्रेड-पे 4200/- रुपये से अधिक देय नहीं होगा। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग का आदेश दिनांक 30.08.1999 उक्त जारी अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 के पश्चात प्रभावी नहीं रह जाता है।

राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे स्केल्स) रूल्स 2008 के अन्तर्गत Assured Career Progression (ACP) का प्रावधान किया गया है। आदेश दिनांक 02.02.2011 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3375/2011 भंवर लाल सोनी बनाम राजस्थान राज्य एवं समान अन्य 12 प्रकरणों में निर्णय दिनांक 08.02.2012 द्वारा इसे निर्णित किया:-

"In the light of aforesaid discussion, there is no illegality in the circular/ order dated 2.2.2011 but default lies in regard to its implementation. The order dated 2.2.2011 is not applicable to erstwhile Teacher Gr III drawn selection grade of Rs. 6500-10500 and promoted to the post of Senior Teacher on or before 1.7.1989 and Teachers Gr III, who have been given promotion to the post of Senior Teacher on or before 1.7.1998 and have completed 10 years of service thus become entitled for the pay scale of Rs. 6500-10500 and have completed 10 years of service thus become

entitled for the pay scale of Rs. 6500-10500 and thereafter entitled to the benefit of third ACP having not given benefit of three financial up-gradation earlier and if benefit of third financial up-gradation was given then they were fixed in the pay scale of Rs.7500-12000.

The other Teachers, who were initially appointed as Teacher Gr III and were not given benefits mentioned in para above, would be governed by the circular dated 2.2.2011.

The respondents are directed to undertake necessary exercise in view of the clarification and directions given above. However, respondents are restrained to recover the amount paid to the petitioners even if it is found in excess to their entitlement as payment was not made to the petitioners on account of their misrepresentation or fraud but was at the instance of respondents themselves. Accordingly, the respondents are directed to carry out the directions and it goes without saying that while applying the revised Rules of 2008, Rule 6 (2) would also be taken note of."

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त निर्णय की अनुपालना में आदेश दिनांक 12.10.2012 जारी किया। इसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है :-

"As per the above judgement the Senior Teachers, who were drawing pay in the personal grade pay of Rs- 4200/- and have not completed service of 10 years on the post of Senior Teachers before grant of third ACP- shall be granted third ACP in the grade pay of Rs. 4200/- On grant of third ACP in the grade pay of Rs- 4200/-, the pay of such Senior Teachers shall be increased equal to 3% of the sum of the pay in the RPB and the grade pay of Rs- 4200/-.

The Senior Teachers of following categories, are eligible for third ACP in the grade pay of Rs. 4800/-.

(1) Teacher Gr- III drawing pay in the second selection grade of 6500-10500 and promoted to the post of Senior Teacher prior to 01.07.1989 and were allowed to draw pay in the pay scale of 6500-10500 a Senior Scale of Senior Teacher.

(2) The Teacher Gr.-III, who have been promoted as Senior Teacher between the period from 01.07.1989 to 30.06.1998 (both days inclusive) and have completed 10 years of service before 01.09.2006 and thus the personal pay scale of 6500-10500 has been converted into Senior Scale of Senior Teacher.

The authorities competent to grant ACP to Senior Teachers, are directed to grant third ACP to Senior Teachers as clarified above.

These directions are being issued with the FD(Rules) vide their ID No. 221201438 dated 04.10.2012."

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत स्पष्ट है कि अपीलार्थी को ग्रेड पे 6500-10500 उसके व्यक्तिगत वेतनमान में स्वीकृत थी। अतः तृतीय एसीपी के रूप में 4800/- ग्रेड-पे की नियमानुसार स्वीकृति संभव नहीं है। अपीलार्थी ने पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित हो कि उसका वेतन नियतन ग्रेड पे 4800/- में किया गया हो। अपीलार्थी द्वारा उसके वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियमित पदोन्नति का भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलार्थी के

उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)